न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 316 / 2016

उनवान

1. मु0 दुर्गा पुत्री लादू लाल पत्नि कन्हैयालाल गुर्जर निवासी बैरा तहसील बनेड़ा हाल ठगा का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री मांगु पुत्र लक्ष्मण गुर्जर निवासी बैरा त0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. श्री रामेश्वर पुत्र भैरू गुर्जर निवासी बैरा त0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. श्री काना पुत्र भैरू गुर्जर निवासी बैरा त0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. केसर पुत्री भैरू गुर्जर निवासी बैरा त0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. लादी पुत्री भैरू गुर्जर निवासी बैरा त0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. जेतु बेवा भैरू गुर्जर निवासी बैरा त0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
7. उपपंजीयन अधिकारी, उपपंजीयक कार्यालय, बनेड़ा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा के प्रकरण संख्या 102 / 2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.11.2016

अधिवक्तागण :–

1. श्री दिनेश कुमार जोशी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री कमलेश मेहता अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 1
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 27.09.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी / वादी के द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 92(क), 188, 207 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीया के पिता लादू पुत्र लक्ष्मण के नाम पर खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की हाल आराजी नम्बर 2103, 2104, 2186, 2188 कुल कीता 4 कुल रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा ग्राम बैरा तहसील बनेड़ा में सम्वत् 2058 से 2061 में हक हिस्से से दर्ज होकर स्थित थी। वादीया के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है–

लक्ष्मण

मांगु(पुत्र)	लादू(पुत्र फौत)	धापु(पुत्री)	घीसी(बेवा फौत)
	मु0दुर्गा(पुत्री–वादीया)		

2. यह कि उपरोक्त वर्णित साल सम्वत् के दौरान वादीया के पिताजी का देहान्त हो गया था और वादीया के पिता की मृत्यु के उपरान्त राजस्व अधिकारियों ने लादू के वारिसान की बिना तहकीकात किये व न ही वादीया को बिना सुने अवैधानिक तरीके से खातेदार लादू की प्रथम श्रेणी की वारिस वादीया के मुकाबले वादीया के पिताजी का नामांकन वादीया की दादी घीसी के नाम पर गलत तरीके से खोल दिया गया जो कानूनी तौर पर अवैधानिक है। वादीया जाईन्दा लड़की होकर प्रथम श्रेणी की वारिसान होते हुए भी वादीया के नाम पर वादीया के पिताजी लादूजी का नामांकन फैसल नहीं किया। इसका कोई कारण नहीं बताया इसलिए नामान्तरकरण प्रथम दृष्टया ही खारिज होकर वादीया का नाम नामान्तरकरण मेंकायम किया जाना आवश्यक है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पिता की सम्पत्ति में लड़के के समान रूप से लड़की का भी हक–हिस्सा कायम किया गया है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3. वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात वादीया के दादा लक्ष्मण पुत्र छीतर गुर्जर के हक़–हिस्से की हिन्दू संयुक्त परिवार की अविभक्त सम्पदा है, वादीया के पिता का देहान्त होने से पूर्व ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू हो चुका था इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज होने वाली आराजीयात में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 कॉपार्सनर है और लक्ष्मणजी के फौत होने के बाद उनके हक हिस्से वाली आराजीयात वादीया के पिता लादूजी के नाम पर प्रतिवादी संख्या 1 के समान रूप से बराबर–बराबर दर्ज हुई । वादीया की दादी घीसी का स्वर्गवास हो चुका है। इसलिए उक्त वर्णित कुल आराजीयात में वादीया का 1/6 हक हिस्सा यानि लक्ष्मणजी के हक हिस्से की आराजीयात में वादीया का 1/3 हिस्सा है जो वादीया के नाम पुनः इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री आदेश से दर्ज करवाया जाना आवश्यक है। सभी खातेदारान आपसी सहमती व स्वीकृति से शांतिपूर्वक तरीके से शामिल में ही काश्त आदि कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।

4. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में वादीया इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री से अपना नाम दर्ज करवाकर हक–हिस्सानुसार विभाजन कराया जाकर राजस्व रेकार्ड में अलग–अलग दर्ज कराने की अधिकारिणी है व विभाजन के अनुसार कब्जा रखने की अधिकारिता रखती है। साथ ही वादीया के हक हिस्से में आई भूमि प्रतिवादीगण व अन्य कोई भी किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करे इस आशय की डिक्री भी वादीया प्राप्त करने की अधिकारिणी है जिससे उन्हें हक अधिकारिता तक दखलन्दाजी न करने की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

5. यह कि वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात यानि लक्ष्मणजी के हक हिस्से की समस्त आराजीयात गलत तरीके से अकेले प्रतिवादी संख्या 1 मांगु के नाम पर दर्ज होने से उपरोक्त आराजीयात को विक्रय, हस्तान्तरण कर खुर्द–बुर्द करना चाह रहे हैं, जिसका कि उसे कोई हक अधिकार नहीं है व लक्ष्मण गुर्जर और बाद में इनके वारिस लादू गुर्जर की मृत्यु के बाद गलत तरीके से वादीया की पुश्तैनी आराजीयात का खातेदार एकमात्र प्रतिवादी संख्या 1 बन जाने के कारण यह वादीया को हिन्दु संयुक्त परिवार की अविभक्त आराजीयात में कब्जा काश्त करने से मना कर रहा है, जबकि आराजीयात में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 कॉपार्सनर होकर सहखातेदार काश्तकार है व मरने मारने पर उतारू हो रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 ने वादीया को धमकी दी कि मेरे पिताजी के हक हिस्से की समस्त आराजीयात अकेले मेरे नाम पर दर्ज होने से इसे बेच दूगां। इसलिए यह स्थायी निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र पेश किया है।

6. अतः प्रार्थना है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की इन्द्राज दुरूस्ती जारी फरमाई जावे कि आ0नं0 2103, 2104, 2186, 2188 कुल कीता 4 कुल रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा में लादू के 1/6 हक हिस्से की वादीया प्रथम श्रेणी की वारिस होकर अधिकारिणी है और वादीया का 1/6 हिस्सा घोषित करा वादीया के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा विभाजन करने की डिक्री वादीया के पक्ष में व विभाजन पश्चात प्रत्येक खातेदार अपने–अपने कब्जे की रक्षा करने के लिए प्रतिवादीगण के के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री फरमाई जावे।

7. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीया का वाद पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/वादीया ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

8. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रेकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों का सही ढंग से विवेचन नहीं कर वादी का वाद गलत तौर से खारिज किया जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादीया/अपीलार्थी के पिताजी लादूजी के देहान्त के पश्चात वारिसान की जांच किए बिना विरासत का नामान्तरकरण अकेले प्रत्यर्थी संख्या 01 के नाम पर निर्णित किए जाने में भूल की है जबकि अपीलार्थी लादूजी की प्रथम श्रेणी की वारिस होकर एक मात्र जाईन्दा पुत्री होकर वाद वर्णित आराजीयात में 1/6 हिस्सा होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीया /अपीलार्थी के वाद को निरस्त करने में भारी भूल की है।

10. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी सं01 के द्वारा दिनांक 01.04.2016 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया कि प्रकरण में धापू जो कि स्व0 लक्ष्मणजी की पुत्री व वादीया की जाईन्दा माता होकर आवश्यक पक्षकार है जिसे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 6 को पक्षकार किस कारण से बनाया है वाद में स्पष्ट नहीं किया है। अतः वादीया का वाद पत्र प्रत्यर्थी सं0 1 के प्रार्थना पत्र में अंकित मिस जोईन्डर ऑफ पार्टीज होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 01 के प्रार्थना पत्र को आदेश 7 नियम 11 के तहत मानते हुए वादीया का वाद विधि विरूद्ध खारिज किया है जबकि मुझ अपीलार्थी के द्वारा अधिनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय में धापू के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र के जवाब में स्पष्ट किया है कि धापू द्वारा मांगू के पक्ष में हकत्याग किए जाने के कारण पक्षकार नहीं बनाया है फिर भी उक्त कथन व पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड को नजर अन्दाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो खारिज योग्य है। इस सम्बन्ध में आरबीजे (12)2005 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर अपील डिक्री/41/99/उदयपुर नरेन्द्र सिंह बनाम काशीराम व अन्य में पारित निर्णय 18.07.2005 की नजीर एवं 2013(3)डीएनजे(राज0) 1219 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच विजय शंकर बनाम राम शरण व अन्य एस.बी. सिविल रिविजन पिटीशन सं0 111/2012 आदेश दिनांक 08.04.2013 की नजीर प्रस्तुत की है।

11. प्रत्यर्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण सुनवाई एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन पश्चात प्रत्यर्थी के प्रार्थना पत्र मिस जोईण्डर ऑफ पार्टीज के आधार पर वादीया/अपीलार्थी का वाद सही खारिज किया है। अपीलार्थी के द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष भी पक्षकार बनाए जाने बाबत कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतः यह अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

12. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस के तथ्यों एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं नजीर का ससम्मान अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2050 से 2053 में आ0नं0 2103, 2104, 2186, 2188 श्री लक्ष्मण पिता छीतर रामलाल पिता सोला गुर्जर सा0देह खातेदार दर्ज है। लक्ष्मण पिता छीतर के फौत होने पर इसकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 733 दिनांक 02.07.1994 दायर कर खाते में लक्ष्मण के बजाय मांगू, लादू

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पिता लक्ष्मण, घीसी बेवा लक्ष्मण व धापू पुत्री लक्ष्मण का नाम दर्ज हुआ। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2061 में वादवर्णित आराजीयात श्री मांगू, लादू पिता लक्ष्मण, घीसी बेवा लक्ष्मण व धापू पुत्री लक्ष्मण तथा रामलाल पिता सोला गुर्जर सा0देह खातेदार दर्ज हुई। इसी में रामलाल पिता सोला गुर्जर के द्वारा अपने हिस्से को विक्रय किए जाने से खाते में नामान्तरकरण संख्या 1042 दिनांक 08.11.2002 से रामलाल के बजाय रामेश्वर, रामलाल पिता भैरू 1/2 गुर्जर का नाम दर्ज हुआ। इसी जमाबन्दी में लादू के फौत होने पर लादू की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1218 दिनांक 24.12.2004 से खाता लादू की माता घीसी बेवा लक्ष्मण के नाम दर्ज किया गया। पत्रावली में संलग्न नामान्तरकरण संख्या 1218 का अवलोकन किया जिसमें लादू की विरासत के सम्बन्ध में पटवारी हल्का/भू अभिलेख निरीक्षक की उसके वारिसान के सम्बन्ध में जांच की कोई टिप्पणी अंकित नहीं है तथा लादू के वारिसान को भी नामान्तरकरण में दर्ज नहीं कर अकेली माता के नाम दर्ज की गई जो कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार माता द्वितीय श्रेणी की वारिस है और लादू की पुत्री अपीलार्थी प्रथम श्रेणी की वारिस होने से लादू के हक हिस्से की आराजीयात में हिस्सेदार होते हुए उसका नाम अंकित नहीं कर विधि विरूद्ध नामान्तरकरण निस्तारित किया है। इसके पश्चात खाता नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 में मांगू पिता लक्ष्मण व घीसी बेवा लक्ष्मण, धापू पुत्री लक्ष्मण, रामेश्वर, रामलाल पिता भैरू गुर्जर का नाम दर्ज हुआ। घीसी बेवा लक्ष्मण के फौत होने पर घीसी की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1755 दिनांक 20.01.2011 को दायर किया परन्तु उस समय पर भी वारिसान के सम्बन्ध में जांच नहीं कर खाता मांगू पिता लक्ष्मण व धापू पुत्री लक्ष्मण के नाम पर दर्ज कर दिया गया। इसके पश्चात

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

धापू के द्वारा अपने हक हिस्से का मांगू पिता लक्ष्मण के पक्ष में हकत्याग किए जाने पर नामान्तरकरण संख्या 1756 दिनांक 20.01.2011 से खाता अकेले मांगू पिता लक्ष्मण के नाम दर्ज हुआ एवं रामेश्वर, रामलाल पिता भैरू गुर्जर सा0देह का नाम भी दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 में खाता मांगू पिता लक्ष्मण , रामेश्वर, रामलाल पिता भैरू गुर्जर सा0देह दर्ज हुआ। इसके पश्चात रामलाल के फौत होने पर खाता नामान्तरकरण संख्या 2055 दिनांक 27.05.2015 से विरासत में खाता काना, रामेश्वर, केसर, लादी पिता भैरू, जेतू बेवा भैरू गुर्जर का नाम दर्ज हुआ।

13. अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रत्यर्थी मांगू के प्रार्थना पत्र दिनांक 01.04.2016 के आधार पर स्व0 लादू की पत्नि एवं पुत्री धापू को पक्षकार नहीं बनाए जाने के आधार पर प्रार्थना पत्र का निर्णय आदेश 7 नियम 11 में मानते हुए वादीया/अपीलार्थीया का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत नहीं है। क्योंकि प्रथम तो धापू पुत्री लक्ष्मण सह खातेदार थी जिसके द्वारा अपना हक स्वयं मांगू के पक्ष में परित्याग किए जाने पर खाता नामान्तरकरण संख्या 1756 दिनांक 20.01.2011 से धापू के बजाय खाता मांगू पिता लक्ष्मण के नाम दर्ज हुआ। जिसे अपीलार्थीया/वादीया ने प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत जवाब दिनांक 10.11.2016 में वर्णित किया परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.11.2016 में कोई उल्लेख नहीं किया है। इसी प्रकार प्रत्यर्थी के द्वारा लादू की पत्नि जो नाते चली गई है परन्तु उसका कोई नाम व पता प्रार्थनापत्र में अंकित नहीं है। इसके सम्बन्ध में भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में तहसीलदार बनेड़ा के जवाबदावा दिनांक 28.01.2016 व इसके साथ संलग्न मौका पर्चा ग्राम बेरा जो कि पटवारी हल्का बेरा द्वारा तरतीब किया गया। उसका उल्लेख अपने आदेश में किया। परन्तु मौका पर्चा में भी जांच में उसका

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नाम एवं किस ग्राम में व किसके नाते गई उसके सम्बन्ध में कोई विवरण अंकित नहीं किया है। प्रत्यर्थी के द्वारा भी स्व0 लादू की पत्नि के सम्बन्ध में कोई नाम पता प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलार्थी को लादू की पुत्री होने के सम्बन्ध में भी कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं किया है। स्वयं लादू की पत्नि ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाए जाने अथवा घोषणा/हक हिस्सा चाहने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। चूंकि अपीलार्थी अपने पिता की हक हिस्से की आराजीयात में से हिस्सा चाहने हेतु यह अपील लाई है और यदि लादू की पत्नि को कोई आपत्ति होगी तो वह अपीलार्थी से हक प्राप्त कर सकती है इसके लिए वह स्वतंत्र है।

14. अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.04.2016 के द्वारा प्रत्यर्थी/अप्रार्थी संख्या 01 ने मिस जोईन्डर ऑफ पार्टीज के आधार पर वाद खारिज किए जाने हेतु निवेदन किया । प्रत्यर्थी/प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा आदेश 7 नियम 11 के तहत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को आदेश 7 नियम 11 के तहत मानकर निर्णित किया है जबकि उक्त प्रार्थना पत्र उक्त आदेश के तहत Cover नहीं होता है। आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत नहीं होने से प्रार्थना पत्र व अपीलाधीन आदेश के 7(11) के तहत कवर नहीं होने , विधि से वर्जित होने अथवा न्यायालय के क्षैत्राधिकार का होने जैसे बिन्दुओं पर विवेचन नहीं किया जा रहा है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस बाबत वादी के जवाबकी हद में ही प्रार्थना पत्र निर्णित किया जाना था, परन्तु विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र में अभिलिखित बिन्दुओं से बाहर जा कर विवेचन किया है, तथा "non joinder of parties" की श्रेणी में धापू पुत्री लक्ष्मण को व लादू की नातायत पत्नी (नाम ज्ञात

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नहीं) का आवश्यक पक्षकार होने के बाद भी वादी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया जाना मान कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। हो। अपीलार्थी/वादीया ने अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में हक हिस्सा एवं बटवाड़ा हेतु वाद प्रस्तुत किया है । आदेश 1 नियम 09 के सम्बन्ध में अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत नजीर आरबीजे (12)2005 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर अपील डिक्री/41/99/उदयपुर नरेन्द्र सिंह बनाम काशीराम व अन्य में पारित निर्णय 18.07.2005 इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है। अर्थात अपीलार्थीया/वादीया ने यदि वाद में किसी को पक्षकार नहीं बनाया है या गलत पक्षकार बनाया है तो इस आधार पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता है इस सम्बन्ध में उक्त नजीर में यह प्रतिपादित किया है कि आर.आर.डी. 1974 पेज 119, 181, 194, आर.आर.डी. 1980 पेज 480, आर.आर.डी. 1982 पेज 39, आर.आर.डी. 1986 पेज 288 की नजीरों से स्पष्ट है कि ऑर्डर 1 नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार मिस/नोन जोइन्डर ऑफ पार्टीज के कारण कोई भी दावा खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रकरणों में न्यायालय को चाहिए कि वह अपने स्तर से पक्षकार बनाने का आदेश प्रदान करे। आदेश 01 नियम 09 के प्रावधान निम्न प्रकार से है–

"Mis joinder and non-joinder- No suit shall be defeated by reason of the mis-joinder or non-joinder of parties , and the court may in every suit deal with the matter in controversy so far as regards the rights and interest of the parties actually before it.(provided that nothing in this rule shall apply to non-joinder of sa necessary party.) उक्त न्यायिक उद्धरण इस प्रकरण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पर पूर्णतया चस्पा होता है। "non joinder of parties" जानबूझ कर नहीं किया गया है। यदि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय लादू की नातायत पत्नी को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक समझते हैं तो विस्तृत आदेश पारित कर वादीया को आदेश जारी किया जाने हेतु स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2016 निरस्त योग्य पाया जाता है।

15. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.11.2016 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित इस निर्देश के साथ किया जाता है कि वे स्व0 लादू के हक हिस्से के सम्बन्ध में अपीलार्थी को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिक वारिसान के सम्बन्ध में आवश्यक जांच कर दस्तावेज रेकार्ड पर लेकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पर्चा डिक्री जारी हो। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 4.12.19 को उपस्थित रहें।

16. निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

27/9/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस
अपील संख्या आर टी ए/316/2016

उनवान

1. मु0 दुर्गा पुत्री लादू लाल पत्नि कन्हैयालाल गुर्जर निवासी बैरा तहसील बनेड़ा हाल ठगा का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री मांगु पुत्र लक्ष्मण गुर्जर निवासी बैरा त0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. श्री रामेश्वर पुत्र भैरू गुर्जर निवासी बैरा त0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. श्री काना पुत्र भैरू गुर्जर निवासी बैरा त0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. केसर पुत्री भैरू गुर्जर निवासी बैरा त0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. लादी पुत्री भैरू गुर्जर निवासी बैरा त0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. जेतु बेवा भैरू गुर्जर निवासी बैरा त0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
7. उपपंजीयन अधिकारी, उपपंजीयक कार्यालय, बनेड़ा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा के प्रकरण
संख्या 102/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.11.2016
अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/316/2016** मे **उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैः अपीलार्थी अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार जोशी एवं प्रत्यर्थी सं0 1 के अधिवक्ता श्री कमलेश मेहता व प्रत्यर्थी सं0 8 की ओर से अधिवक्ता राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 27.09.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2016 को खारिज करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता हैं।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 27.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

27/9/19

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा